Australian Human Rights Commission

शिकायत करना

ऑस्ट्रेलिया का मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र संगठन है जो गैर-कानूनी सेक्स, प्रजातीय, अक्षमता, एवं उम्र के कारण भेदभाव, ILO III भेदभाव और मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच-पड़ताल और उनका निराकरण करता है।

आप किन बातों के बारे में हमसे शिकायत कर सकते हैं

- *सेक्स संबंधी भेदभाव* के अंतर्गत यौन उत्पीड़न तथा सेक्स संबंधी भेदभाव, स्त्री-पुरुष के रूप में पहचान के आधार पर भेदभाव, इंटरसेक्स स्टेटस, गर्भावस्था, वैवाहिक या साहचर्य स्थिति, स्तनपान, पारिवारिक दायित्व एवं यौन अभिरुचि के कारण परेशान करना या भेदभाव बरतना शामिल हैं।
- *अक्षमता संबंधी भेदभाव* के अंतर्गत शारीरिक, बौद्धिक, इंद्रिय-जनित, सीखने संबंधी या मनोचिकित्सकीय अक्षमताएं; बीमारियां या रोग; चिकित्सकीय दशाएं; कार्य के दौरान प्राप्त चोटें; विगत, वर्तमान या संभावी अक्षमताएं; और किसी अक्षमता-ग्रस्त व्यक्ति के साथ रहने के आधार पर भेदभाव करना शामिल है।
- *प्रजातीय भेदभाव* में शामिल है - प्रजातीय या नस्लीय घृणा तथा प्रजाति (नस्ल), रंग, वंशक्रम, राष्ट्रीय या प्रजातीय मूल और आव्रजन (इमिग्रेशन) पर आधारित भेदभाव।
- *आयु संबंधी भेदभाव* में शामिल है - उम्र में बहुत छोटा या वयोवृद्ध होने के कारण भेदभाव करना।
- *ILO III भेदभाव* में शामिल है - धर्म, आपराधिक रिकॉर्ड, व्यापार संघ में सक्रिय होने और सामाजिक मूल के कारण भेदभाव।
- *मानव अधिकार* के अंतर्गत राष्ट्रकुल (कॉमनवेल्थ) द्वारा या उसकी ओर से किए गए ऐसे कार्य आते हैं जिनसे कथित रूप से विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रपत्रों का उल्लंघन होता हो, जैसे: नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समझौता, बच्चों के अधिकार के बारे में अधिवेशन, तथा अक्षमता-ग्रस्त लोगों के अधिकारों के बारे में अधिवेशन।

आप ऑस्ट्रेलिया में चाहे कहीं भी रहते/रहती हों, आप शिकायत कर सकते/सकती हैं और शिकायत करने के लिए कोई भी कीमत नहीं देनी होती है। शिकायत-प्रक्रिया के चरणों की रूपरेखा नीचे दी गई है:

पूछताछ करना

- आप किसी बात के बारे में शिकायत कर सकते/सकती हैं या नहीं, ऐसी दुविधा होने पर आप आयोग की शिकायत सूचना सेवा से फोन नं. **1300 656 419** पर या ईमेल complaintsinfo@humanrights.gov.au के जरिये संपर्क कर सकते/सकती हैं।
- प्रक्रिया आरंभ करने के लिए हम आपके पास एक शिकायत फॉर्म भेज सकते हैं।
- यदि हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, तो हम किसी सक्षम व्यक्ति/संस्था के पास आपको रेफर करने का प्रयास करेंगे।

शिकायत करना

- शिकायत लिखित रूप में होनी चाहिए। आप शिकायत फॉर्म भरकर उसे हमारे पास डाक या फैक्स के माध्यम से भेज सकते/सकती हैं, अथवा आप हमारी वेबसाइट www.humanrights.gov.au पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज़ कर सकते/सकती हैं।
- आप अपनी मनचाही भाषा में शिकायत कर सकते/सकती हैं और ज़रूरी होने पर हम आपकी शिकायत लिखने में मदद कर सकते हैं।
- शिकायत करने के लिए आपके पास किसी वकील का होना ज़रूरी नहीं होता है।
- यदि हम आपकी शिकायत का निवारण नहीं कर सकेंगे तो हम इसका कारण बताएंगे।

जांच-पड़ताल

- आपकी शिकायत के बारे में बात करने के लिए हम आपसे संपर्क करेंगे और हम आपको अतिरिक्त जानकारी देने के लिए निवेदन कर सकते हैं।
- सामान्य-तौर पर आयोग उस व्यक्ति या संगठन से संपर्क करेगा जिसके खिलाफ आपने शिकायत की है, उन्हें आपकी शिकायत की एक प्रतिलिपि दी जाएगी और उनकी टिप्पणी या अन्य प्रासंगिक जानकारियां मांगी जाएंगी। आपकी शिकायत के उत्तर में उन्होंने क्या कहा है, यह हम आपको सूचित करेंगे।
- कुछ मामलों में हम आपकी शिकायत का निवारण करना छोड़ देने का निर्णय ले सकते हैं। ऐसा होने पर हम आपको कारण बताएंगे।
- हम शिकायत के शांतिपूर्ण निपटारे के प्रयास के लिए आपसे चर्चा कर सकते हैं।

समझौता

- समझौता का मतलब यह है कि हम आपको और आपने जिस व्यक्ति या संस्था के खिलाफ शिकायत की है, उन्हें समस्या के निराकरण का कोई रास्ता निकालने में मदद देने की कोशिश कर सकते हैं।
- यह समझौता 'समझौता अधिवेशन' नामक एक आमने-सामने की मुलाकात में अथवा एक टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घटित हो सकता है। कुछ मामलों में पत्र-व्यवहार या संधिकर्ता के माध्यम से फोन या ईमेल द्वारा भेजे गए संदेशों के जरिये भी शिकायतों का निपटारा हो सकता है।
- शिकायतों का निराकरण विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, क्षमा मांगकर, नीति में बदलाव लाकर या क्षतिपूर्ति देकर।

संभावित न्यायिक कार्यवाही – सेक्स, अक्षमता, नस्ल या आयु संबंधी भेदभाव

- कोई गैर-कानूनी भेदभाव बरते जाने पर, आयोग के पास निर्णय करने का अधिकार नहीं होता है।
- यदि आपकी शिकायत का निराकरण न हो सके अथवा किसी कारण से बीच में ही उसे त्याग दिया जाए, तो आप उस मामले को न्यायालय में ले जा सकते हैं। कोई गैर-कानूनी भेदभाव हुआ है या नहीं, यह निर्णय न्यायालय करेगा।
- आयोग द्वारा शिकायत के अंतिम निराकरण के बाद आप 60 दिनों के भीतर ऑस्ट्रेलिया के फेडेरल सर्किट कोर्ट या फेडेरल कोर्ट (संघीय न्यायालय) में आवेदन दे सकते/सकती हैं।
- आयोग आपके लिए मामले को न तो न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है और न ही इस संबंध में आपकी कोई मदद कर सकता है।
- यदि आप न्यायालय में जाना चाहते/चाहती हों, तो आपको किसी वकील या कानूनी सेवा से संपर्क करना पड़ सकता है।

निर्णय/रिपोर्ट - ILO III भेदभाव एवं मानवाधिकार

- यदि शिकायत का निराकरण न हो पाया हो या किसी अन्य कारण से क्रम टूट गया हो, तो आयोग का अध्यक्ष यह निर्णय करेगा कि कोई ILO III भेदभाव अथवा मानवाधिकार का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। इसके अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा किसी जन-सुनवाई का आयोजन करना शामिल हो सकता है, जिसमें प्रत्येक पक्ष घटना के बारे में अपना-अपना ब्योरा और प्रश्नों के उत्तर देगा।
- यदि अध्यक्ष इस बात के प्रति आश्वस्त हैं कि भेदभाव अथवा मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो अध्यक्ष उसकी रिपोर्ट फेडेरल एटॉर्नी-जेनरल को देगा। उस रिपोर्ट में अध्यक्ष द्वारा किसी व्यक्ति को प्राप्त क्षति या चोट के एवज़ में उसे क्षतिपूर्ति दिए जाने की अनुशंसा की जा सकती है। इस रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत किया जाना ज़रूरी है।
- भेदभाव एवं मानवाधिकार के बारे में अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्णयों के उदाहरण आयोग की वेबसाइट http://www.humanrights.gov.au/publications/reports-minister-under-ahrc-act पर उपलब्ध हैं।

मुझे और अधिक जानकारी कहाँ से मिल सकती है?

ऑस्ट्रेलिया के मानवाधिकार आयोग के संपर्क विवरण निम्नानुसार हैं:

टेलीफोन

शिकायत सूचना लाइन:	1300 656 419 (लोकल कॉल)
टीटीवाई:	1800 620 241
NRS:	133 677
फैक्स:	(02) 9284 9611

यदि आपको दुभाषिए की ज़रूरत हो, तो आप **131 450** पर फोन करके ऑस्ट्रेलिया के मानवाधिकार आयोग से संपर्क कराने के लिए निवेदन कर सकते/सकती हैं।

यदि आप सुन नहीं सकते/सकती हैं या आप श्रवण-बाधित हैं, तो आप TTY के माध्यम से 1800 620 241 पर हमसे संपर्क कर सकते/सकती हैं। यदि आप सुनने में सक्षम नहीं हैं या बोलने-सुनने में बाधा का अनुभव करते/करती हों, तो आप हमसे नेशनल रिले सर्विस (NRS) के माध्यम से 133 677 पर भी संपर्क कर सकते/सकती हैं। यदि आपको 'ऑस्लान' (Auslan) भाषांतरकार की ज़रूरत हो, तो आयोग आपके लिए इसकी व्यवस्था कर सकता है।

यदि आप देख नहीं सकते/सकती हैं या दृष्टि-बाधित हैं, तो निवेदन करने पर आयोग अन्य वैकल्पिक स्वरूपों में सूचना उपलब्ध करा सकता है।

डाक का पता

Australian Human Rights Commission
GPO Box 5218
Sydney NSW 2001

ऑनलाइन

ईमेल: complaintsinfo@humanrights.gov.au
वेबसाइट: www.humanrights.gov.au

आप इस लिंक के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत कर सकते/सकती हैं:
http://www.humanrights.gov.au/complaints/lodging-your-complaint

सामान्य कानूनी सलाह

यदि आप शिकायत करने का विचार कर रहे/रही हों, तो हो सकता है आप कानूनी सलाह पाने या किसी सामुदायिक संगठन से संपर्क करने की इच्छा भी रखते/रखती हों। ऐसी कई सामुदायिक कानूनी सेवाएं हैं जो भेदभाव एवं परेशान किए जाने की स्थिति के बारे में नि:शुल्क सलाह दे सकती हैं। आपके निकटतम सामुदायिक कानूनी सेवा केंद्र के संपर्क विवरण यहाँ देखे जा सकते हैं: www.naclc.org.au/directory

प्रत्याख्यान: इस तथ्यपत्र में दी गई जानकारियां केवल मार्गदर्शक के रूप में हैं। यह कानूनी परामर्श का स्थानापन्न नहीं है।